न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 170 / 2016
निर्णय दिनांकः– 08 .01.2021

उनवान

तुलसीराम पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी पागड़ा तहसील उनियारा जिला टोंक –प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री सुरेन्द्र कुमार धाकड़ वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 78 कुल किता 28 रकबा 10.80 है0,खाता संख्या 77 कुल किता 3 रकबा 0.99 है0 व खाता संख्या 76 कुल किता 3 रकबा 1.34 है0 वाके ग्राम पागड़ा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम तुलसीराम पुत्र हरनाथ है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड,फोटो पहचान पत्र,राशनकार्ड,शैक्षणिक प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात इत्यादि में अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से तुलसीराम पुत्र हरनाथ के स्थान पर तुलसीनारायण पुत्र हरनाथ अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम तुलसीराम पुत्र हरनाथ है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र हरनाथ के स्थान पर सहवन से तुलसीनारायण पुत्र हरनाथ दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 78 कुल किता 28 रकबा 10.80 है0, खाता संख्या 77 कुल किता 3 रकबा 0.99 है0 व खाता संख्या 76 कुल किता 3 रकबा 1.34 है0 वाके ग्राम पागड़ा तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम तुलसीनारायण पुत्र हरनाथ के स्थान पर तुलसीराम पुत्र हरनाथ अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम पागड़ा के खाता सं0 76,77 व 78 कुल किता 3 में प्रार्थी का नाम तुलसीनारायण पुत्र हरनाथ जाति जाट दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जाँच से तुलसीनारायण पुत्र हरनाथ व तुलसीराम पुत्र हरनाथ एक ही व्यक्ति है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 78 कुल किता 28 रकबा 10.80है0,खाता संख्या 77 कुल किता 3 रकबा 0.99 है0 व खाता संख्या 76 कुल किता 3 रकबा 1.34 है0 वाके ग्राम पागड़ा तहसील उनियारा में प्रार्थी तुलसीराम पुत्र हरनाथ जाति जाट साकिन पागड़ा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र हरनाथ व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम तुलसीराम दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम पागड़ा के खाता सं0 76,77 व 78 में तुलसीनारायण पुत्र हरनाथ के स्थान पर तुलसीराम पुत्र हरनाथ किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त खाता संख्या 76, 77 व 78 कुल किता 3 वाके ग्राम पागड़ा तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज **तुलसीनारायण पुत्र हरनाथ के स्थान पर तुलसीराम पुत्र हरनाथ** दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा